

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 102/2019 - निगरानी

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति बनेड़ा बनाम 1. राजू लाल आत्मज जगदीश दरोगा  
जिला भीलवाड़ा निवासी-बागड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत बैरा  
तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत  
बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला  
भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा  
जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत  
बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला  
भीलवाड़ा

-निगराकार

- गैर निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा अधिनियम 97 राजस्थान पंचायती राज 1994**  
**निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बैरा पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा**  
**पट्टा संख्या 31 मिसल संख्या 387 दिनांक 05/11/2017 आदेश दिनांकित**  
**01/03/2018**

उपस्थित -


1. श्री राजू डीडवानिया अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

## निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष ग्राम बागड़ी खेड़ा में एक भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से पट्टा जारी कर किया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 ने दिनांक 30/10/2017 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया गया, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा मिसल संख्या 387 दिनांक 05/11/2017 कायम कर प्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जिसमें नियमों की अनदेखी कर पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट लिये बगैर सार्वजनिक परियोजनार्थ आरक्षित आराजी नम्बर 1365 भूमि जो कि आबादी भूमि नहीं है,



अति.   
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

01 को निःशुल्क जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज नियमों के विरुद्ध जारी किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि विपक्षी संख्या 01 का कोई पुश्तैनी मकान नहीं था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात परीक्षण से पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 31 जारी किया गया, उसके पिछले भाग पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं, जारीशुदा पट्टे का सीमांकन अंकन नहीं हैं, कितने वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है? वह भी अंकित नहीं हैं। पट्टा संख्या 31 पर सरपंच के हस्ताक्षर पर मोहर भी नहीं हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अनदेखी कर, पंचायतीराज नियमों को ताक में रखकर उक्त प्रश्नगत पट्टा विधि विरुद्ध जारी किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता है कि प्रश्नगत पट्टा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आराजी नं. 1365 में जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की स्पष्ट उल्लंघना कर, नियम विरुद्ध किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आबादी भूमि में से ही नियमानुसार जारी किया जा सकता है।


उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत बैरां द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 142 से 149 की कार्यवाही नहीं की जाकर, पंचायती राज नियमों की उल्लंघना कर विधि विरुद्ध तरीके से पट्टा संख्या 31 दिनांक 01.03.2018 विपक्षी संख्या 01 को, जो प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता है। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव-

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बैरां तहसील बनेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 01.03.2018 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बैरां तहसील बनेडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. राजेश गोयल)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
भारत